

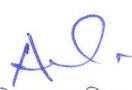
परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 2.100 हे० वन पंचायत भूमि एवं 0.130 हे० मक डिस्पोजल , कुल 2.230 हे० वन पंचायत भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण ।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

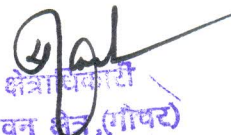
प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


वन क्षेत्राधिकारी
धनपुर वन क्षेत्र (गौचर)

ह० / -
प्रभागीय वनाधिकारी